

2024 आई.एन.एस.सी.327

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार 2024 की सिविल अपील संख्या 5062-5099

2017 की एस.एल.पी.(सी) संख्या 26571-26608 से उद्भूत ।

परनॉड रिकार्ड इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड

- अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

- प्रत्यर्थी

निर्णय

पमिदिगंथम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति

1. अनुमति अनुदत्त की गई ।
2. जुर्माना लगाने के लिए सुसंगत नियम की प्रयोज्यता हमारे विचार के लिए लघु प्रश्न है; क्या यह वह नियम होगा जो उस समय मौजूद था जब उल्लंघन 2009-10 की लाइसेंस अवधि के दौरान हुआ था या वह नियम होगा जिसे 2011 में प्रतिस्थापित किया गया था जब दंड की कार्यवाही शुरू की गई थी। चूंकि प्रतिस्थापित नियम ने जुर्माने की मात्रा को कम कर दिया है, इसलिए अपीलकर्ता इसके लागू होने पर जोर देता है, लेकिन वैधानिक प्राधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने भी उनके मामले को खारिज कर दिया और पुराने नियम के तहत अधिक जुर्माना लगाया ।

2.1 निम्नलिखित कारणों से, हमने अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया है और अपील के अनुमति देते हुए यह निर्धारित किया है कि संशोधन का उद्देश्य अपराध और सजा या अपराध और जुर्माना के बीच उचित संतुलन प्राप्त करना है । इसके आलोक में, और यह मानते हुए कि अधिक और न्यून दंड लगाने के लिए संशोधन से पहले या बाद में अपराधियों को वर्गीकृत करने से किसी भी सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं होती है, हमने निर्देश दिया है कि केवल प्रतिस्थापित नियम ही लंबित कार्यवाही पर लागू होगा ।

3. तथ्य :- अपीलकर्ता मध्य प्रदेश विदेशी शराब नियम, 1996² के तहत विनियमित विदेशी शराब को निर्माण, आयात और बिक्री के लिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915¹ के तहत एक उप लाइसेंसधारी है ।

3.1 विदेशी शराब का आयात करने वाले उप-लाइसेंसधारियों को अभिवहन अनुमति दी जाती है जिसमें आयातित शराब की उत्पत्ति, गुणवत्ता, मात्रा और वितरण का स्थान अभिलिखित किया जाता है । गंतव्य पर, पारेषण की गुणवत्ता और मात्रा को सत्यापित किया जाता है, और नियम 13 के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । नियम 16 में रिसाव, वाष्पीकरण, अपव्यय आदि के कारण अभिवहन में शराब के नुकसान की अनुमेय सीमा निर्धारित की गई है । इस नियम का प्रयोजन और उद्देश्य अवैध बिक्री के लिए शराब के अवैध उपयोग को रोकना और आबकारी शुल्क की चोरी को रोकना भी है । नियम 16 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :-

“नियम 16 हानि की अनुमेय सीमाएँ ।

(1) रिसाव, वाष्पीकरण आदि से स्पिरिट के वास्तविक नुकसान और परिवहन में उतारने, चढ़ाने व उठाई धराई आदि के कारण बोतलबंद विदेशी शराब के टूटने के लिए इसके बाद उल्लिखित दर पर भत्ता दिया जाएगा । परिवहन या निर्यात की गई बोतलबंद विदेशी शराब की कुल मात्रा अनुमेय नुकसान की गणना का आधार होगी ।

(2) एफ.एल. 9 या एफ.एल. 9-ए अनुज्ञप्तिधारक के परिसर में ले जाए जाने वाले स्पिरिट पर अपव्यय भत्ते डिस्टिलरी नियम, 1995 के नियम 6 के उप-नियम (4) में दिए गए भत्ते के समान होंगे ।

(3) बोतलबंद विदेशी शराब के सभी निर्यात के लिए अधिकतम अपव्यय भत्ता 0.25 प्रतिशत होगा, चाहे दूरी कुछ भी हो ।

(4) यदि बिक्री लाइसेंसधारी और खरीद लाइसेंसधारी एक ही जिले के हैं तो बोतलबंद विदेशी शराब के सभी परिवहन के लिए अधिकतम अपव्यय भत्ता 0.1 प्रतिशत होगा । यदि वे अलग-अलग जिलों के हैं तो यह 0.25 प्रतिशत होगा ।

1. इसमें इसके पश्चात “अधिनियम” संबोधित

2. इसमें इसके पश्चात “1996 नियम” से संबोधित

(5) यदि बोतलबंद विदेशी शराब के निर्यात या परिवहन के दौरान अपव्यय/ हानि उप-नियम (3) या (4) में निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक है, तो बोतलबंद विदेशी शराब की ऐसी अतिरिक्त अपव्यय पर निर्धारित शुल्क लाइसेंसधारी से वसूल किया जाएगा ।”

3.2 यदि शराब के नुकसान की अनुमेय सीमा को पार कर दिया जाता है, तो 1996 के नियम जुर्माना लगाने का निर्देश देते हैं । नियम 19 में उस दंड का प्रावधान है जो 2009-2010 की संबंधित लाइसेंस अवधि के दौरान लगाया जा सकता है जो कि विदेशी शराब पर देय अधिकतम शुल्क का लगभग चार गुना था । नियम 19 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :-

“नियम 19 शास्ति³

(1) अधिनियम के प्रावधानों, या फॉर्म एफ.एल. 1 में लाइसेंस की शर्त संख्या 4, फॉर्म एफ.एल. 2 में लाइसेंस की शर्त संख्या 7, फॉर्म एफ.एल. 3 की शर्त संख्या 4 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इनमें से किसी भी नियम या अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत बनाए गए किसी भी अन्य नियम के उल्लंघन के लिए आबकारी आयुक्त या कलेक्टर 50000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकते हैं ।

(2) नियम 16 और नियम 17 के तहत अनुमत सीमाओं से अधिक की कमियों में, एफ.एल. 9 या एफ.एल. 9-ए, एफ.एल. 10-ए या एफ.एल. 10-बी लाइसेंसधारी उस समय विदेशी शराब में देय अधिकतम शुल्क के तीन गुना से अधिक लेकिन चार गुना से अनधिक की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है ।

परंतु यदि यह आबकारी शुल्क आयुक्त या अधिकृत अधिकारी के संतोष के लिए साबित हो जाता है कि ऐसी अतिरिक्त कमी या हानि आग या दुर्घटना जैसे किसी अपरिहार्य कारण से हुई थी और इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, तो वह इस उप-नियम के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने का अधित्यजन कर सकता है ।

(3) आबकारी आयुक्त या कलेक्टर इनमें से किसी भी नियम या अधिनियम के प्रावधानों, या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी अन्य नियम या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 31 के तहत लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकते हैं ।”

3. इसमें इसके पश्चात् “पुराना नियम”

4. तथ्यों से पता चलता है कि 2009-2010 के लाइसेंस वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी ।

5. 29.03.2011 पर, नियम 19 को एक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था । प्रतिस्थापित प्रावधानों का सुसंगत हिस्सा इस प्रकार है :

“नियम 19 शास्ति⁴

(1)

(2) नियम 16 और नियम 17 के तहत अनुमत सीमाओं से अधिक की सभी कमियों में एफ.एल.-9, एफ.एल.-9-ए, एफ.एल.-10-बी लाइसेंसधारी, उस समय विदेशी शराब पर देय शुल्क से अधिक दर पर ऐसा जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित हो सकता है।

परंतु यदि यह आबकारी आयुक्त या अधिकृत अधिकारी के संतोष के लिए साबित हो जाता है कि ऐसी अतिरिक्त कमी या हानि आग या

दुर्घटना जैसे कुछ अपरिहार्य कारणों से हुई थी और इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, तो वह इस उप-नियम के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने को माफ कर सकता है ।”
(जोर दिया गया)

6. जैसा कि स्पष्ट है, उपरोक्त निर्दिष्ट प्रतिस्थापित नियम 19 विदेशी शराब पर “अधिकतम देय शुल्क के चार गुना” से “देय शुल्क से अनधिक” तक कम करता है ।

7. संशोधन के आठ महीने बाद, लाइसेंस वर्ष 2009-2010 के दौरान अनुमेय सीमा को पार करने पर जुर्माने के भुगतान का निर्देश देते हुए एक 22.11.2011 दिनांकित मांग सूचना जारी की गई थी । नोटिस में पुराने नियम 19 के अनुसार शुल्क का चार गुना जुर्माना लगाने की मांग की गई थी । अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि जुर्माना, यदि कोई हो, तो केवल प्रतिस्थापित नियम 19 के तहत ही हो सकता है क्योंकि पुराना नियम निरस्त हो गया था, और वास्तव में प्रतिस्थापित नियम के लागू होने के बाद मांग उठाई गयी है ।

8. उपायुक्त⁵ ने अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया और देय शुल्क के चार गुना जुर्माने के भुगतान की मांग की पुष्टि की। उपायुक्त के आदेश को आबकारी आयुक्त⁶ और फिर राजस्व बोर्ड ग्वालियर⁷ ने बरकरार रखा।

9. वैधानिक अधिकारियों के फैसलों पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे इसी तरह के मुद्दे को उठाने वाली 40 अन्य याचिकाओं के साथ सुना और निपटाया गया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का विचार था कि नया नियम प्रतिस्थापन के माध्यम से और राजस्थान राज्य बनाम मंगीलाल पिंडवाल⁸, वेस्ट यू.पी. शुगर मिल्स एशोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.⁹, जिले सिंह, भारत सरकार बनाम इंडियन टोबैको एशोसिएशन¹⁰ में सिद्धांतों का पालन करते हुए पेश किया गया था। उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि पुराना नियम अधिनियम पुस्तिका से निरस्त कर दिया गया है और केवल प्रतिस्थापित नियम सभी लंबित और भविष्य की कार्यवाही पर लागू होता है। इसलिए, उन्होंने वैधानिक प्राधिकारियों के आदेशों को अपास्त कर दिया और मामले को प्रतिस्थापित नियम के अनुसार जुर्माने के अवधारण के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया।

10. हाईकोर्ट की युगलपीठ ने इसमें आक्षेपित आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश के निर्णय को इस साधारण आधार पर उलट दिया कि चूंकि लाइसेंस एक वर्ष के लिए दिया गया था इसलिए उस लाइसेंस वर्ष के दौरान मौजूद नियम को लागू होना चाहिए। युगलपीठ के अनुसार प्रतिस्थापित नियम को लागू नहीं करने का कारण यह भी है कि दंड निर्धारण सारभूत विधि होने के कारण भूतलक्षी प्रभाव से काम नहीं कर सकता है।

11. हाईकोर्ट की युगलपीठ के फैसले की वैधता और विधिमान्यता उठाते हुए, वर्तमान अपील दायर की जाती हैं। अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रताप वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि प्रतिस्थापन का प्रभाव अधिनियम की पुस्तक में मौजूदा प्रावधान को पूरी तरह में निरस्त करना और नए प्रतिस्थापित प्रावधान को लागू करना है। उन्होंने आगे कहा कि उन घटनाओं के लिए भी जो नियम के लागू होने के समय हुई थीं, यह प्रतिस्थापित नियम ही लागू होगा, और इसलिए, पुराने नियम के तहत दंड का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस दिनांकित 22.11.2011 अवैध है।

5. आदेश दिनांकित 18.04.2012 द्वारा

6. आदेश दिनांकित 02.05.2013 द्वारा

7. आदेश दिनांकित 10.12.2013 द्वारा

8. (1996) 5 एस.सी.सी. 60

9. (2002) 2 एस.सी.सी. 645

10. (2005) 7 एस.सी.सी. 396

12. श्री प्रताप वेणुगोपाल के तर्क को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। कोटेश्वर विट्टल कामथ बनाम के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी¹¹ में इस अदालत ने एक नियम के अधिकमण और एक नियम के प्रतिस्थापन के बीच के अंतर को सामने लाया और कहा कि प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं—पहला, पुराना नियम निरस्त किया जाता है, और दूसरा, इसके स्थान पर एक नया नियम अस्तित्व में लाया जाता है।

“8. उस सादृश्य पर, यह तर्क दिया गया कि यदि हम मानते हैं कि 1950 का निषेध आदेश अविधिमान्य था, तो 1119 के पिछले निषेध आदेश को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क एक नियम के अधिकमण और एक नियम के प्रतिस्थापन के बीच के अंतर को नजरअंदाज करता है। फर्म ए. टी.बी. मेहताब मजिद एंड कंपनी के मामले में, नए नियम 16 को पुराने नियम 16 के स्थान पर रखा गया था। प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं। सबसे पहले, इसके द्वारा बनाए गए पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके बाद, नए नियम को इसके स्थान पर अस्तित्व में लाया जाता है। पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त होने का पहला कदम लागू हो जाता है, भले ही नया नियम अविधिमान्य हो, और इसी कारण से अदालत ने माना कि नए नियम को अमान्य घोषित करने पर पुराने नियम को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।”

12.1 जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य¹² में, इस अदालत ने प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन की विधायी प्रथा को निर्दिष्ट किया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिस्थापन का प्रभाव उस अवधि के दौरान कानून के प्रवर्तन में संशोधन करने का होगा जिसमें यह लागू था।

“24. एक पाठ का दूसरे पहले से मौजूद पाठ के लिए प्रतिस्थापन विधायी प्रारूपण में नियोजित ज्ञात और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथाओं में से एक है। “प्रतिस्थापन”, “अधिकमण” या किसी मौजूदा प्रावधान के केवल निरसन से अलग होना चाहिए।

25. किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले के प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है और नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है (वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, आई.बी. आई.डी.पी. 565 देखें)। यदि प्रस्ताव के समर्थन में किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता है,

11. (1969)1 SCC 255

12. (2004) 8 SCC 1

तो यह वेस्ट यू.पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹³, राजस्थान राज्य बनाम मांगीलाल पिंडवाल¹⁴, कोटेश्वर विट्ठल कामत बनाम के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी¹⁵ और ए. एल.वी.आर.एस.टी. वीरप्पा चेट्टियार बनाम आई.एस. माइकल¹⁶, पश्चिम यू.पी.शुगर मिल्स एसोसिएशन¹⁷ में मिल जाता है। इस मामले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार ने पुराने नियम के स्थान पर नए नियम को प्रतिस्थापित करके पुराने नियम को जीवित रखने का इरादा कभी नहीं रखा। इस मुद्दे के इर्द-गिर्द केंद्रित परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिस्थापन का प्रभाव केवल पुराने नियम को हटाने और नए नियम को लागू करने का था। मांगीलाल पिंडवाल¹⁸ मामले में इस अदालत ने एक अधिनियम के पाठ में प्रतिस्थापन द्वारा उस संशोधन को शामिल करने की विधायी प्रथा को बरकरार रखा, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिस्थापन का प्रभाव उस अवधि के दौरान, जिसमें यह लागू था, कानून के प्रवर्तन में संशोधन करने का होगा। कोटेश्वर मामले¹⁹ में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक नियम के “अधिक्रमण” और एक नियम के “प्रतिस्थापन” के बीच के अंतर पर जोर दिया और कहा कि प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं। सबसे पहले, पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद, नए नियम को इसके स्थान पर अस्तित्व में लाया जाता है।”

12.2 हाल ही में लिए गए निर्णय में थोड़ा अंतर देखा गया है। गोदुमुक्कला वेंकट कृष्णराजू बनाम भारत संघ²⁰, जहाँ इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि

“18. आम तौर पर जहाँ भी विधायिका द्वारा “प्रतिस्थापित” या “प्रतिस्थापन” शब्द का उपयोग किया जाता है, इसका प्रभाव पुराने प्रावधान को हटाने और नए प्रावधान को लागू करने का होता है। प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं। सबसे पहले, पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद, नए नियम को इसके स्थान पर अस्तित्व में लाया जाता है। नियम यह है कि जब कोई बाद का अधिनियम पहले वाले अधिनियम में इस तरह से संशोधन करता है कि वह स्वयं को या अपने हिस्से को पहले वाले में शामिल कर ले, तो बाद में पहले वाले

-
13. (2002) 2 SCC 645
 14. (1996) 5 SCC 60
 15. (1996) 1 SCC 255
 16. (1963) Supp(2) SCR 244
 17. (2002) 2 SCC 645
 18. (1996) 5 SCC 60
 19. (1969) 1 SCC 255
 20. (2019) 17 SCC 590

अधिनियम को पढ़ा जाना चाहिए और इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए जैसे कि परिवर्तित शब्दों को पहले वाले अधिनियम में कलम और स्याही से और पुराने शब्दों के साथ लिखा गया था ताकि फिर संशोधन अधिनियम को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता न हो । इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ स्थितियों में अदालत विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए “प्रतिस्थापन” शब्द का भविष्यलक्षी प्रभाव वाले “संशोधन” के रूप में अर्थ लगा सकता है । इसलिए, हम यह नहीं सोचते कि यह एक सार्वभौमिक नियम है कि “प्रतिस्थापन” शब्द आवश्यक रूप से या हमेशा दो अलग-अलग चरणों को संदर्भित करता है, अर्थात्, एक निरसन का दूसरा एक नए अधिनियम का, भले ही इसका अर्थ दो कदम हो । हालांकि, उपरोक्त सामान्य अर्थ को तब तक प्रभावी किया जाता है, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि विधायिका का आशय अन्यथा था । जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, जैसा कि इसके बाद चर्चा की गई है, विधायी इरादा उन अधिकारियों के संबंध में भी संशोधित प्रावधान को प्रभावी बनाना था जो 1.9. 2016 पर सेवा में थे।”

13. इस प्रकार किसी वैधानिक प्रावधान के निरसन या प्रतिस्थापन का प्रवर्तन स्पष्ट है, एक निरस्त प्रावधान निरसन की तारीख से काम करना बंद कर देगा और प्रतिस्थापित प्रावधान इसके प्रतिस्थापन की तारीख से काम करना शुरू कर देगा । यह सिद्धांत विशिष्ट वैधानिक निर्धारण के अधीन है । अधिनियम निरस्त प्रावधान को उन लेनदेनों पर लागू करने में सक्षम बना सकता है जो निरसन से पहले शुरू हो चुके हैं । इसी तरह, एक प्रतिस्थापित प्रावधान, जो भविष्यलक्षी रूप से काम करता है, वैधानिक निर्धारण के अधीन रहते हुए, भूतलक्षी रूप से कार्य कर सकता है अगर वह निहित अधिकारों को प्रभावित करता है ।

14. अधीनस्थ विधान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत थोड़ा अलग है क्योंकि एक अधीनस्थ विधान का प्रवर्तन मूल अधिनियम के द्वारा सशक्त किए जाने से निर्धारित होता है । कार्यपालिका को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से नियम बनाने में सक्षम बनाने के लिए विधायी प्राधिकरण महत्वपूर्ण है । वैधानिक तौर पर सशक्त किए जाने के बिना, अधीनस्थ कानून हमेशा उसके जारी होने की तारीख से ही काम करना शुरू कर देगा और साथ ही इसे हटाने या वापस लेने की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेगा । इस भेद का कारण संसद की सर्वोच्चता और प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण विषय होने के नाते कार्यकारी कार्यवाही में इसका नियंत्रण है ।

15. अब हम मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख करेंगे, अधिनियम की धारा 62 राज्य को नियम बनाने का अधिकार देती है । धारा 62 का सुसंगत भाग इस प्रकार है :-

“62 नियम बनाने की शक्ति :- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती हैं ।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार नियम बना सकती है -
(क) आबकारी अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करने

(बी) से (एन).....

(3) नियम बनाने की इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति इस शर्त के अधीन है कि उपखंड (2) (ए), (बी), (सी), (ई), (एफ), (आई), (एल) और (एम) के तरह बनाये गये नियम पूर्व प्रकाशन के बाद बनाये जायेंगे, परंतु ऐसे कोई भी नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाये जा सकते हैं यदि राज्य सरकार मानती है कि उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए ।

16. धारा 62 कार्यपालिका को, उन घटनाओं के लिए जो नियम के जारी रहने के दौरान शुरू हुई हैं, निरसित नियम के अनुप्रयोग को जारी रखने में सक्षम नहीं बनाती है । तथापि धारा 63 कुछ महत्वपूर्ण है । यह कार्यपालिका को इस संबंध में निर्दिष्ट तिथि से नियम का प्रवर्तन कराने में सक्षम बनाता है । धारा 63 निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत की गई है ।

“धारा 63 नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन - इस अधिनियम के तहत बनाये गये सभी नियम और जारी की गई अधिसूचनाएं, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से प्रभावी होगी जो उस संबंध में निर्दिष्ट की जाये । ”

17. यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 63 अपने प्रचलन के दौरान अर्जित अधिकारों और दायित्वों के लिए निरसित प्रावधान को जारी रखने का प्रावधान नहीं करती है । अधिकतम मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 63, सरकार को केवल ऐसी स्थिति से अधीनस्थ कानून जारी करने में सक्षम बनाती है जो निर्दिष्ट की जाये, हम इसी स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं कि नियम 19 को, जो कि 29.03.2011 को प्रतिस्थापित किया गया है, उसे सरकार द्वारा किसी अन्य तिथि से प्रवर्तित कराने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है ।

18. इस स्थिति का सामना करते हुए, राज्य के विद्वान ए.ए.जी. श्री सौरभ मिश्रा ने एक आकर्षक तर्क दिया कि मध्य प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के आधार पर 2009-2010 के लेन-देन के लिए निरसित नियम को लागू रखना जारी रख सकता है । उन्होंने अधिनियम की धारा 10 को हमारे ध्यान में लाया है जो कि इस प्रकार है :-

“10 निरसन का प्रभाव - जहां कोई मध्य प्रदेश अधिनियम किसी अधिनियम को निरस्त करता है, तब तक, जब तक कोई भिन्न आशय प्रकट नहीं होता, ऐसा निरसन नहीं होगा जो

क. ऐसी किसी भी चीज को पुर्नजीवित करे जो उस समय लागू या मौजूद नहीं है जब निरसन प्रभावी होता है; या

ख. इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम या कुछ भी, जो उसके तहत विधिवत किया गया है या भुगता गया है, के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित करता है या

ग. इस प्रकार निरसित किए गए किसी अधिनियम के तहत अर्जित, प्रोद्भूत, उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित करता है; या

घ. इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण, दण्ड को प्रभावित करता है; या

ङ. उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यता, दण्ड, समपहरण या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है;

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, समपहरण या सजा इस प्रकार अधिरोपित की जा सकती है मानो निरसनकारी मध्य प्रदेश अधिनियम पारित नहीं किया गया था ।”

19. मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम की उपरोक्त धारा से अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह धारा केवल अधिनियमितियों पर लागू होती है, यानी कि जब कोई मध्य प्रदेश अधिनियम किसी भी ऐसी अधिनियमिति को निरस्त करता है जो कि अधीनस्थ विधान नहीं है । साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के एक समान प्रावधान की अर्थात धारा 6 का निर्वचन करते हुए इस अदालत ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 अधीनस्थ विधान पर लागू नहीं होती है ।²¹

20. श्री सौरभ मिश्रा ने मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1957 की धारा 31 को संदर्भित किया जो कि इस प्रकार है :-

“31. **अध्यादेशों और विनियमों पर अधिनियम का लागू होना** – जब तक कि यह विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे

परंतु इस अधिनियम की धारा 3 की उपखण्ड (1) किसी भी अध्यादेश या विनियम पर इस प्रकार लागू होगा जैसे कि उक्त उपखण्ड (1) में किसी अधिनियम को सरकारी राजपत्र में स्वीकृति के पहले प्रकाशन के दिन के निर्देश के स्थान पर उस राजपत्र में अध्यादेश या विनियमन के पहले प्रकाशन के दिन का संदर्भ दिया गया था ।

ख. मध्य प्रदेश अधिनियम के तहत बनाये गये या जारी किये गये नियमों, विनियमों, उपनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, योजनाओं या प्रपत्रों के अर्थान्वयन पर’

21. धारा 31 के आधार पर मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 के प्रावधान नियमों के अर्थान्वयन के लिए लागू किए गए हैं । इस प्रकार लागू किये जाने से, किसी प्रावधान के अंतर्गत उपगत दायित्व को प्रभावित न करते हुये उसके निरसन का सिद्धांत अधिनियम के अधीन अधीनस्थ विधायन के प्रवर्तन तक भी विस्तारित है। इसलिए यह निवेदित किया जाता है कि लाईसेंस अवधि 2009-2010 के लिये शराब के नुकसान की विहित सीमाओं का अतिलंघन करने का दायित्व उपगत करने के बाद नियम 19 के पश्चातवर्ती प्रतिस्थापन से दायित्व प्रभावित नहीं होता।

22. यह निवेदन एकल न्यायाधीश या खण्डपीठ के समक्ष नहीं उठाया गया था। हालांकि कानून अदालत में इसे उठाने वाले और निर्दिष्ट करने वाले पक्षकारों या उनके वकीलों के विकल्प से निरपेक्ष होकर काम करता है। इसलिए हमने उसे कानून के इस प्रश्न पर बहस करने की अनुमति दी है। अब हम धारा 31 के लागू होने और उसके प्रवर्तन की जाँच करेंगे।

23. मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 की धारा 31, जो अधीनस्थ विधान के लिए अपने प्रावधानों के विस्तार से संबंधित है, अपनी बड़ी बहन, सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897, केन्द्रीय विधान की तुलना में अलग और अधिक महत्वाकांक्षी है, जो अपने प्रावधानों को उन अध्यादेशों और विनियमों तक विस्तारित करता है जो विधान की प्रकृति में है।²²

21. रॉयल कॉर्पोरेशन बनाम प्रवर्तन निदेशक, (1969) 2 एस.सी.सी. 412; कोल्हापुर केनसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2000) 2 एस.सी.सी. 536

क. मध्य प्रदेश अधिनियमों के संबंध में लागू होने वाले किसी भी अध्यादेश या विनियम पर

22. इस प्रकार, अदालत ने कई मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 केवल कानूनों पर लागू होता है।

अधीनस्थ विधानों के निर्वचन के लिए मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 का विस्तार करने की बड़ी छलांग के प्रति सचेत रहते हुये धारा 31 इस बात का ध्यान रखती है कि यह केवल तभी किया जा सकता है जब वह विषय और संदर्भ के प्रतिकूल न हो। इसके स्वयं के शब्दों में जब तक कि संदर्भ और विषय में कुछ प्रतिकूल न हो।

24. निर्वचन कानून जैसे कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, कानूनों के अर्थान्वयन में मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से बनाये गये अधिनियम हैं। अभिव्यक्ति “अर्थान्वयन” का मौलिक महत्व है, क्योंकि यह एक अधिनियम के पाठ के पाठक को शब्दों के सही अर्थ और उनके आशय को समझने में सक्षम बनाने की दिशा में उन्मुख है।

अधिनियमों को समझने के सुसंबद्ध और सुसंगत तरीकों को स्थापित करने के अलावा निर्वचन कानून विधानों के अतिविस्तार को कम करने के उद्देश्य को भी पूरा करते हैं। अतः व्याख्या विधियों में तैयार किये गए मानक सिद्धांतों को विचार के लिए आने वाले किसी भी और प्रत्येक अधिनियम में पढ़ा जाना चाहिए।

25. पुष्पादेवी बनाम मिल्खीराम²³ में किसी परिभाषा या निर्वचन को प्रस्तुत करने के प्रयोजन और उद्देश्य की वाक्यांश “जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो” के साथ व्याख्या करते हुये इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया-

“19. धारा की परिभाषा में कहा गया है “जब तक कि संदर्भ या विषय में कुछ भी प्रतिकूल न हो” इस विशेषता को ध्यान में रखते हुये, न्यायालय को न शब्दों को देखना है, बल्कि अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन के आलोक में संदर्भ और स्थिति की जाँच करनी है, जिसके लिये विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया था। बैनगार्ड फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स फ्रेसर एण्ड रॉस में दी गई वानचू, जे. की टिप्पणियों को संदर्भित किया जा सकता है [(1960)3 SCR 857,863:AIR 1960 SC 971: (1960)30 Com Cas 13] जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि जहां परिभाषा निःशेषकारी है, क्योंकि परिभाषित शब्द का एक निश्चित अर्थ कहा गया है, वहां भी विषय या संदर्भ के आधार पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में शब्द का कुछ अलग अर्थ होना संभव है।

20. इसलिये किसी भी मत या सिद्धांत को स्वीकार करने, नामंजूर करने या संशोधित करने के पहले बेंच को अन्य जगहों की तरह महान कलात्मकता की आवश्यकता है।

रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में कानून की व्याख्या अदालत के समक्ष आने वाली विभिन्न तथ्य स्थितियों से निपटने के लिए कि जानी चाहिए क्योंकि, संसद के अधिनियमों का मसौदा ईश्वरीय विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार नहीं किया गया था विधायिकाओं के लिए किसी विशेष प्रावधान को प्रभावी बनाते समय उत्पन्न होने वाले तथ्यों और विवादों के कई समूहों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है । वास्तव में, विधायक विशिष्ट विवादों से नहीं निपटते हैं । जब परस्पर विरोधी हित उत्पन्न होते हैं या अधिनियम की भाषा से दोष प्रकट होता है, तो न्यायालय को विधायी आशय पर विचार करके लिखे हुए शब्द को 'बल और जीवन' के साथ पूरक करना चाहिए । सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट लिमिटेड बनाम ऐशर ((1949) 2 केबी 481, 458) में लार्ड डेनिंग की टिप्पणी देखें ।”

26. वेनगार्ड फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम फ्रेजर और रॉस²⁴ में इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि :-

“6..... यही कारण है कि कानूनों में सभी परिभाषाएँ आम तौर पर विशेषक शब्दों के साथ शुरू होती हैं जो कि वर्तमान मामले में उपयोग किए गए शब्दों के समान होते हैं । अर्थात्, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो ।

इसलिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 'बीमाकर्ता' शब्द के अर्थ का पता लगाने में इसे आमतौर पर रूप से दिया जाने वाला अर्थ परिभाषा खंड में दिया गया है । लेकिन यह अपरिवर्तनीय नहीं है और अधिनियम में धाराएं हो सकती हैं जिनमें उस विषय या संदर्भ के कारण अर्थ को भिन्न करना पड़ सकता है जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है और जो परिभाषा खंड में शुरूआती वाक्य को प्रभावी बनाएगा, अर्थात् जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो । इस विशेषक को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को न केवल शब्दों को देखना है, बल्कि ऐसे मामले से संबंधित ऐसे शब्दों के संदर्भ, संयोजन और उद्देश्य को भी देखना है और परिस्थितियों में शब्दों के उपयोग द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थ की व्याख्या करनी है ।”

27. अंतिम विश्लेषण में निर्वचन अधिनियम या निर्वचन खंडों में परिभाषाएँ केवल अधिनियम के अर्थान्वयन के लिए आंतरिक सहायक हैं। वे किसकी सहायता करते हैं ? यह निर्वचन अदालत का अनन्य क्षेत्र है।²⁵ एक संवैधानिक अदालत को संविधान,

24. (1960) 3 SCR 857

25. केशवजी रावजी एवं कंपनी बनाम कमिशनर ऑफ इन्कमटैक्स (1990) 2 एस.सी.सी. 231

संसद या राज्यों के अधिनियमों, अधीनस्थ विधानों, विनियमों, निर्देशों और यहां तक कि कानून के बल वाली प्रथाओं का निर्वचन करने का पवित्र कर्तव्य सौंपा गया है। जो भी या जहाँ भी लिखत हो, निर्वचन अदालत का अनन्य कार्यक्षेत्र है।²⁶ इस सिद्धांत को उचित रूप से इस प्रकार व्यक्त किया गया है।

“अदालत के पास अधिकृत रूप से विधान का अर्थ निकालने का कार्य है, अर्थात्, जहाँ तक उसके समक्ष किसी मामले का निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, उसके कानूनी अर्थ का निर्धारण करना। यह कार्य अदालत के लिए अनन्य है, और किसी अन्य व्यक्ति, उदाहरण के लिए एक प्राधिकृत अभिकरण, एक जांच अभिकरण, एक निष्पादन अभिकरण, एक अभियोजन अभिकरण, या यहाँ तक कि स्वयं विधायिका, द्वारा पाया गया अर्थ सिवा तब जब कि वह कानून की घोषणा या संशोधन करने के लिए आशयित हो, हमेशा न्यायालय के निर्धारण के अधीन है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कानून बनाना, इसके निर्वचन के विपरीत, विधायिका का मसला है, न कि अदालतों का, लेकिन जहाँ तक वह विधायिका अपने आशय को स्पष्ट रूप से, अभिव्यक्त रूप से और पूरी तरह से व्यक्त नहीं करती है वहाँ अदालत से जरूरत होने पर उस आशय को स्पष्ट करने की आवश्यकता मानी जाती है। यह या तो विधायक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में निहितार्थ ढूँढकर और घोषित करके किया जा सकता है या अभिव्यक्त भाषा के विस्तार या अन्य अस्पष्टता के बारे में सार्वजनिक नीति (कानूनी नीति सहित) और कानून के उद्देश्य के अनुसार, इसके अर्थ को विस्तारित करने के लिए एक प्रत्यायोजित विधायी शक्ति प्रदान करके किया जा सकता है। पूर्व निर्णय के सिद्धांत के अनुसार जो भी कार्यप्रणाली अपनाई जाती है, अदालत की कार्यवाही अधिनियम के भावी कानूनी अर्थ को प्रभावित करती है, जिसे उपनियम कहा जा सकता है, जो अदालत के निर्णय में अभिव्यक्त या विवक्षित किये जाते हैं।”²⁷

28. अधीनस्थ विधान, अपनी प्रकृति में, प्राथमिक विधान की कार्यपालिका की समझ पर निर्भर करता है। जब किसी अदालत की राय होती है कि ऐसी समझ अधिनियम के अनुरूप नहीं है, तो वह इसे प्राथमिक अधिनियम के विपरीत होने के कारण इसे अपास्त करता है।

29. अब हम जांच करेंगे कि क्या 1996 के नियमों के अर्थान्वयन हेतु, मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 की धारा 31 के अधिदेश को अस्वीकार करने के लिए विषय या संदर्भ से कुछ भी प्रतिकूल है? यदि विषय और संदर्भ हमें उस निष्कर्ष तक

26. डॉ. मेजर मीता सहाय बनाम बिहार राज्य, (2019) 20 एस.सी.सी. 17

27. हॉल्सबरीस लॉ (5वाँ एडीशन, 2018), वॉल्यूम 96, पैरा 694

पहुँचने के लिए मार्गदर्शित करता है, तो हम म.प्र. साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 10 में किए गए निरसन के प्रभाव को निरसित नियम 19 तक नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी ओर, यदि विषय और संदर्भ का नियम के अर्थान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम धारा 10 को लागू करेंगे और लाईसेंस वर्ष 2009-2010 के दौरान अपीलकर्ता द्वारा उपगत किए गए दायित्व पर निरसित नियम लागू करेंगे और जुर्माने के रूप में शुल्क का चार गुना लगाने की अनुमति देंगे।

30. 1996 के नियम विदेशी शराब के निर्माण और बॉटलिंग, स्पिरिट की खरीद, भंडारण, गुणवत्ता और नियंत्रण, बिक्री, निर्यात, सत्यापन आदि के लिए लाईसेंस के अनुदान को विनियमित करते हैं। नियम 19 में अधिनियम के किसी भी नियम या प्रावधान के लिए दंड का प्रावधान है। अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के लिए अलग-अलग दंड हैं।

31. विनियामक प्रक्रिया, सरकार से विदेशी शराब की अवैध बिक्री ओर परिवर्तन की समस्या से निपटने और उचित जुर्माना और सजा भी प्रदान करने की अपेक्षा करती है। अपराध की पहचान करने और उचित सजा निर्धारित करने की प्रक्रिया एक जटिल और नाजुक विषय है जिसे राज्य को नियम बनाते समय और उन्हें लागू करते समय संभालना पड़ता है। निवारण और सुधार के आवश्यक उपाय प्रदान करने के लिए अपराध की गंभीरता, समाज पर इसके प्रभाव और मानव दुर्बलता को ध्यान में रखा जाता है। नियमों का दिन-प्रतिदिन कार्य करना, उनकी प्रभावशीलता का कम होना, प्रभावहीनता, निवारण की कमी, वास्तविक व्यवसायों पर ठंडा प्रभाव डालने वाले अनानुपातिक दंड आदि कुछ नियमित कारक हैं जो कार्यपालिका से निरंतर नियमों को समय-समय पर संशोधित करने की अपेक्षा करते हैं। इसके आलोक में, हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि राज्य द्वारा नियम 19 में, जिसमें शुल्क के चार गुना अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है उस दंड से जिसमें एक साधारण दण्ड देय शुल्क से अधिक नहीं है, प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

32. यदि 2011 में प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधन का उद्देश्य विदेशी शराब के बेहतर प्रशासन और विनियमन के लिए दंड की मात्रा को कम करना है, तो संशोधन के विषय और संदर्भ को नजरअंदाज करने और राज्य को असंशोधित नियम के अनुसार दंड की वसूली करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है। शराब के प्रशासन के विषय पर कड़ी निगरानी अपेक्षित है और संशोधन को सुशासन और प्रभावी प्रबंधन लाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में देखते हुए साधारण खण्ड अधिनियम 1957 की धारा 10 का सिद्धांत जो कि नियम के जारी रहने के दौरान अर्जित

अधिकारों और दायित्वों के संबंध में नियम के जारी रखने से संबंधित है, वह संशोधन के उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा नहीं करता है।

33. राज्य की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि प्रतिस्थापित नियम को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। हम इस निवेदन में सहमत नहीं हैं। यह मान लेना गलत है कि प्रतिस्थापित नियम को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाता है यदि इसके लाभ लंबित कार्यवाही या प्रतिस्थापन के बाद शुरू हुई कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। नियम 19, जिसे 29.03.11 पर प्रतिस्थापित किया गया था, नवंबर, 2011 में मांग नोटिस जारी करने के साथ शुरू हुई कार्यवाही पर लागू किया गया है। यह नियम पूर्वव्यापी रूप से काम करता है और इस प्रकार इसे अपराधियों को मनमाने ढंग से बिना किसी उद्देश्य के दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने से बचाता है।

34. एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खण्ड पीठ दो अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं और हम उनमें से किसी से भी सहमत नहीं हैं। एकल न्यायाधीश का विचार था कि प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन का प्रभाव उस कानून को निरस्त करने का होता है जो निरसन की तारीख को मौजूद था। हम पहले ही इस दृष्टिकोण की सीमा की व्याख्या कर चुके हैं। दूसरी ओर, खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जुर्माना लगाना सारभूत कानून है, और इस प्रकार, यह भूतलक्षी रूप से कार्य नहीं कर सकता है। यह फिर से एक गलत दृष्टिकोण है। प्रतिस्थापित जुर्माना केवल दंड को “शुल्क के मूल्य चार गुना” से “शुल्क के मूल्य तक” कम करके कानून की कठोरता को कम करता है। इसलिए, अपराध करने के समय लागू दंड से अधिक दंड लगाने के अनुच्छेद 20 (1)²⁸ के प्रतिबंध का कोई अनुप्रयोग नहीं है। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खण्ड पीठ के तर्क को अस्वीकार करते हुए, हम कानूनों और उसकी प्रक्रियाओं की एक सरल और स्पष्ट समझ के महत्व को, उस उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वे हमें विनियमित और शासित करना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं।

28. रतनलाल बनाम पंजाब राज्य, (1964) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 40; बशीम बनाम केरल राज्य (2004) 3 एस.सी.सी. 609; नेमीचन्द्र बनाम राजस्थान राज्य (2018) 17 एस.सी.सी. 448; त्रिलोकचन्द बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2020) 10 एस.सी.सी. 763; मेसर्स ए.के.सरकार एण्ड कंपनी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 248

35. उपर बताये गए कारणों के लिए हम अपील की अनुमति देते हैं और हाईकोर्ट की युगलपीठ के रिट अपील संख्या 425/2016, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017, 39/2017, 40/2017, 41/2017, 42/2017, और 100/2017 में पारित निर्णय दिनांकित 29.06.2017 को अपास्त करते हैं। हम आगे यह अवधारित करते हैं कि अपीलार्थीगण पर अधिरोपित जुर्माना दिनांक 29.03.2011 को प्रतिस्थापित किए गए नियम 19 के आधार पर होगा। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यू दिल्ली

..... न्यायमूर्ति पामिदिघंथम श्री नरसिम्हा

अप्रैल 19, 2024

..... न्यायमूर्ति श्री अराविंद कुमार

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय पक्षकारों को उसे अपनी भाषा में समझने के निर्बाधित प्रयोग के लिए ही आशयित है और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन एवं कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।